न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 41 / 2022

प्रार्थीगण –	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
मगाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी लीलसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. रिडमलराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी लीलसर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 2. सरपंच, ग्राम पंचायत लीलसर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.06.2017 जो अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया द्वारा ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा।

उपस्थिति :–
1. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम लीलसर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.06.2017 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता [illegible]पूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम [illegible] के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत लीलसर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि विप्रार्थी संख्या 01 रिडमलराम ने दिनांक 12.06.2017 को पट्टा जारी किया गया जिसके भूखण्ड के नाप व पडोस कुल क्षेत्रफल 1300 वर्गफीट एवं उत्तर दिशा–ताज मोहम्मद का कब्जा, दक्षिण दिशा–खेताराम का कब्जा, पूर्व में–बाछडाउ चौहटन का डामर सड़क, पश्चिम–आबादी भूमि होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण करवाया हुआ नहीं है तथा न ही इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी निवास रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से मिलकर प्रार्थी के पुश्तैनी कदीमी कब्जे की भूमि को शामिल कर खुले भूखण्ड पर पुराने मकान में नियमीतीकरण के नियमों के तहत जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए पुराने कब्जे व रहवास का पट्टा विलेख जारी कर दिया हैं, जो काबिल खारिज हैं।
4. अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.06.2017 जिसमें प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 12.06.2017 में रिडमलराम का पट्टा जारी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा विलेख नाप व पडोस के भूखण्ड मौके पर स्थित नहीं है और न ही किसी भी प्रकार से मौके पर लौकेट होते है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टे मे सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने उक्त आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।
5. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता [illegible] में निवेदन किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना [illegible] आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में जांच, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आलौच्य पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जारी किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने यह भी प्रकट किया कि वादग्रस्त भूखण्ड का जारी आलौच्य पट्टा उप पंजीयक कार्यालय चौहटन में रजिस्टर्ड किया गया है। इस प्रकार जारी उक्त पट्टे ने रजिस्टर्ड दस्तावेज का रूप ले लिया है। लिहाजा आलौच्य पट्टे को निगरानी के मार्फत रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। लिहाजा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत लीलसर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड का नियम 157 (1) में विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल 1300 वर्गफीट लिखा है तथा भूखण्ड पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में संस्थित आदेशिका सूची दिनांक 20.05.2017 मे सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस में संबंधित स्थल एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जाने विवरण अंकित नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस का सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से प्रकाशन नहीं किया गया है बल्कि औपचारिक रूप से जारी कर शामिल पत्रावली रखा गया। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.06.2017 जिसमें प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 12.06.2017 में रिडमलराम का पट्टा जारी किये जाने का उल्लेख किया गया हैं जबकि ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 12.06.2017 के प्रस्ताव सं. 5 में अप्रार्थी सं. 1 रिडमलराम को पट्टा जारी करने बाबत कोई विनिश्चिय/निर्णय किये जाने का उल्लेख नहीं हैं। इसके अलावा पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत लीलसर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12.06.2017 एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 12.06.2017 अपूर्ण, अवैध एवं अनियमित प्रक्रिया द्वारा जारी किया गया है । इस प्रकार ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा अनियमित, अवैध, अपूर्ण कार्यवाही एवं बिना पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित किये अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत लीलसर द्वारा जारी आलौच्य पट्टा सं. 29 दिनांक 12.06.2017 को निरस्त किया जाता है।
8. निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested